



2026:AHC: 178089

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 1114/1989

बोहोरिया और अन्य

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता : जितेंद्र प्रसाद मिश्र, केशरी नाथ त्रिपाठी, कुमदक्ष
कुमार द्विवेदी, वी.बी. राव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 76

माननीय न्यायमूर्ति समित गोपाल

1. धारा 374 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यह अपील अपीलार्थीगण बहोरिया, नत्थू तथा भगवानदीन द्वारा प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (डी.ए.ए.), बाँदा द्वारा सत्र विचारण संख्या 336 वर्ष 1984 (उ.प्र. राज्य बनाम बहोरिया एवं 3 अन्य) में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 02.05.1989 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा समस्त अभियुक्त-अपीलार्थीगण को धारा 394 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध हेतु पाँच वर्ष के कठोर कारावास, 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की अदायगी में व्यतिक्रम होने पर छह माह के कारावास से; धारा 365 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत तीन वर्ष के कठोर कारावास, 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की अदायगी में व्यतिक्रम होने पर तीन माह के कारावास से; धारा 366 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत पाँच वर्ष के कठोर कारावास, 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर व्यतिक्रम होने पर छह माह के कारावास से दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया। इसके अतिरिक्त अभियुक्त-अपीलार्थी बहोरिया को धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आठ वर्ष के कठोर कारावास, 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की अदायगी में

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



व्यतिक्रम होने पर छह माह के कारावास से दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया है। दण्डादेशों को साथ-साथ चलने का आदेश दिया गया है। उसी निर्णय एवं आदेश के द्वारा अभियुक्त दीन दयाल, जिसका विचारण भी साथ ही किया गया था, को धारा 394, 365, 366, 376 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है।

2. इस अपील के लम्बित रहने के दौरान अपीलार्थी संख्या 1/बहोरिया तथा अपीलार्थी संख्या 3/भगवानदीन की मृत्यु हो गई तथा इस प्रकार आदेश दिनांक 06.12.2022 के द्वारा उनके सम्बन्ध में अपील उपशमित हो गई। इस प्रकार अपील केवल अपीलार्थी संख्या 2/नत्थू के सम्बन्ध में शेष रह गई है।

3. अभियोजन कथानक, जैसा कि बुधुवा द्वारा प्रभारी निरीक्षक, थाना बदौसा, जनपद बाँदा को दिए गए प्रार्थना पत्र दिनांक 16.12.1982 में प्रकट हुआ है, जिसका लेखक राम प्रताप है, यह है कि वह ग्राम लमेठा, थाना बदौसा, जनपद बाँदा का निवासी है। मध्यवर्ती रात्रि में वह बागे नदी के किनारे अपने खेत में सो रहा था तथा उसकी पत्नी महरनिया एवं उसकी पुत्री घर में सो रही थीं, जहाँ लगभग अर्धरात्रि के समय 3-4 बदमाश दीवार फाँदकर घर के भीतर घुस आए तथा उसकी पत्नी को धमकाया एवं मिट्टी की हाँडी में रखे चाँदी के आभूषण ले लिए तथा उसकी पुत्री को, जो लगभग 18-19 वर्ष की आयु की थी, अपने साथ ले गए। उसकी पत्नी ने इसका विरोध किया, जिस पर बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की। बदमाशों में से एक बन्दूक लिए हुए था, जबकि अन्य लाठी एवं फरसा लिए हुए थे। चीख-पुकार सुनकर उसका भाई कल्लू, छोटा, बावरा तथा गाँव के अन्य लोग आए, जिन्होंने टॉच के प्रकाश में घटना देखी तथा वे बदमाशों की शिनाख्त कर सकते हैं। वस्तुओं की शिनाख्त उसके तथा उसकी पत्नी द्वारा की जा सकती है। उसकी पुत्री पहले से विवाहित है, जिसका ससुराल ग्राम तेलौसा, थाना कमासिन में चुन्ना के घर में है। उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाए तथा कार्यवाही की जाए। उक्त तहरीर अभिलेख पर प्रदर्शक-4 है।

4. उक्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 144 वर्ष 1982, अन्तर्गत धारा 394, 363, 366 भारतीय दण्ड संहिता, थाना बदौसा, जनपद बाँदा में दिनांक 16.12.1982 को 14:30 बजे 3-4 अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखते समय प्रथम सूचनाकर्ता से यह प्रश्न किया गया कि वह सूचना देने में विलम्ब से क्यों आया है, जबकि घटना रात्रि की थी, जिस पर उसने उत्तर दिया कि वह अपनी पुत्री, आभूषणों तथा बदमाशों

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



की तलाश कर रहा था तथा जब उनका पता नहीं चल सका, तब वह रिपोर्ट देने आया है। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट अभिलेख पर प्रदर्श क-1 है। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित के अनुसार घटनास्थल तथा थाने के मध्य की दूरी 15 किलोमीटर है।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में दिए गए निर्देशों के आलोक में तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 228 के अनुसार पीड़िता का नाम प्रस्तुत निर्णय में प्रकट एवं उल्लिखित नहीं किया जा रहा है। अतः निर्णय में उसे पीड़िता 'एक्स' के रूप में सम्बोधित किया गया है।

6. पीड़िता 'एक्स' का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 08.01.1983 को सायं 05:00 बजे डॉ. एम.सी. मित्तल, चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय, बाँदा द्वारा किया गया। पीड़िता 'एक्स' का सामान्य स्वरूप निम्नानुसार अंकित किया गया:

"सुगठित शरीर, ऊँचाई 5 फीट, भार 40 किलोग्राम, दाँत 14/16, स्तन सुविकसित, कक्षीय एवं जघन रोम सुविकसित।

चोटें: सम्पूर्ण शरीर पर चोट का कोई चिह्न नहीं।"

गुप्तांगों का परीक्षण निम्नानुसार अभिलिखित किया गया:

"- उसके गुप्तांगों पर चोट का कोई चिह्न नहीं।

- योनि में दो अंगुलियाँ सरलता से प्रवेश करती हैं, योनिच्छद पर पुराना भरा हुआ विदार उपस्थित।

- वृहद् भगोष्ठ-सामान्य, लघु भगोष्ठ सामान्य, फॉर्निक्स स्वच्छ।

- शुक्राणुओं के साक्ष्य हेतु योनि स्राव की स्लाइड पैथोलॉजिस्ट, जिला चिकित्सालय, बाँदा को भेजी गई।"

चिकित्सक ने उसके सम्पूर्ण शरीर पर कोई चोट नहीं पाई। आयु निर्धारण हेतु दाहिनी कोहनी तथा दाहिनी कलाई के जोड़ के एक्स-रे की सलाह दी गई। चिकित्सक द्वारा निकाला गया निष्कर्ष निम्नानुसार है:

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



"बलात्संग के सम्बन्ध में कोई निश्चित मत नहीं दिया जा सकता। वह अभ्यस्त संभोग की आदी है।"

7. पीड़िता 'एक्स' का एक्स-रे परीक्षण दिनांक 10.01.1983 को किया गया तथा दाहिनी कोहनी के जोड़ के सम्बन्ध में निम्नलिखित आख्या दी गई:

"स्कियाग्राम में दाहिनी कोहनी के जोड़ की अस्थियों के आसपास की एपिफाइसिस अपनी मेटाफाइसिस से संयुक्त हो चुकी हैं।"

दाहिनी कलाई के जोड़ के सम्बन्ध में निम्नलिखित मत दिया गया:

"दाहिनी कलाई के जोड़ के स्कियाग्राम में रेडियस अल्ना अस्थि की एपिफाइसिस निचले सिरे पर अपनी मेटाफाइसिस से आंशिक रूप से संयुक्त हो चुकी हैं।"

वही अभिलेख पर प्रदर्श क-3 है। चिकित्सक ने पीड़िता 'एक्स' की आयु लगभग 18 वर्ष बताई।

8. घटनास्थल का नक्शा नजरी दिनांक 16.12.1982 को तैयार किया गया, जो अभिलेख पर प्रदर्श क-5 के रूप में चिह्नित है।

9. विवेचना समाप्त करने के पश्चात् समस्त चारों अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 394, 366 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप पत्र संख्या 17 दिनांक 06.03.1983 प्रेषित किया गया, वही अभिलेख पर प्रदर्श क-6 है।

10. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (डी.ए.ए.), बाँदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.1987 के द्वारा सम्बन्धित न्यायालय ने बहोरिया, दीन दयाल तथा नत्थू के विरुद्ध धारा 394, 365, 366, 376 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किए। अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाए एवं समझाए गए, जिस पर उन्होंने स्वयं को दोषी न बताते हुए विचारण की माँग किया। इसके अतिरिक्त द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश, डी.ए.ए., बाँदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.04.1988 के द्वारा भगवान दीन के विरुद्ध धारा 394, 365, 366 तथा 376 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। उसे भी आरोप पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे उसने इन्कार किया तथा विचारण की माँग किया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



11. अभियोजन ने अपना प्रकरण साबित करने हेतु प्रथम सूचनाकर्ता एवं पीड़िता 'एक्स' के पिता बुधुवा को पी.डब्ल्यू. -1 के रूप में, बउरा को पी.डब्ल्यू.-2 के रूप में, पीड़िता 'एक्स' की माता एवं पी.डब्ल्यू. -1 की पत्नी श्रीमती महरानिया को पी.डब्ल्यू. -3 के रूप में, पीड़िता 'एक्स' को पी.डब्ल्यू. -4 के रूप में, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने वाले सिपाही घनश्याम शर्मा को पी.डब्ल्यू. -5 के रूप में, पीड़िता 'एक्स' का एक्स-रे परीक्षण करने वाले तथा उसकी प्लेट एवं आखिया प्रमाणित करने वाले रेडियोलॉजिस्ट डॉ. एम.सी. मित्तल को पी.डब्ल्यू. -6 के रूप में तथा प्रकरण के द्वितीय विवेचनाधिकारी कृष्ण सिंह सेंगर को पी.डब्ल्यू. -7 के रूप में प्रस्तुत एवं परीक्षित किया।

12. अभियुक्त दीन दयाल ने न्यायालय से अनुमति चाही तथा स्वयं बचाव साक्षी के रूप में उपस्थित हुआ।

13. विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य को युक्तियुक्त सन्देह से परे पाते हुए अभियुक्त-अपीलार्थीगण को उपर्युक्त रूप से दोषसिद्ध कर दण्डित किया। अतः यह अपील उपर्युक्त रूप से प्रस्तुत की गई है।

14. पी.डब्ल्यू.-1 बुधुवा का परीक्षण प्रारम्भ में दिनांक 15.01.1988 को किया गया तथा तत्पश्चात् दिनांक 17.12.1988 को पुनःपरीक्षण किया गया। उसने कथन किया कि लगभग पाँच वर्ष पूर्व उसके घर में डकैती कारित की गई थी, जहाँ डकैत उसकी पुत्री को उठा ले गए थे। वह 8-10 दिन पश्चात् मुक्त की गई। वह वहाँ उपस्थित नहीं था। वह उस समय अपने खेत पर था। उसे जैसा बताया गया, उसी सूचना पर उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने उस पर अपना अंगूठा निशान लगवाया। उसने कथन किया कि वह उस समय नदी के किनारे अपने खेत में उपस्थित था। बदमाश उसकी पुत्री को ले गए थे। जब वह घर आया, तब उसे घटना की जानकारी हुई तथा तब उसने राम प्रताप से रिपोर्ट लिखवाई। जो कुछ उसने बताया, वही लिखा गया है। उसके लिखे जाने के पश्चात् उसने उसे सुना तथा तब अपना अंगूठा निशान लगाया एवं रिपोर्ट दर्ज कराने गया। वह थाने पर दी गई चिक तहरीर को साबित करता है।

अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने कथन किया कि गाँव में घटना के सम्बन्ध में सुनकर वह वहाँ गया। उसे बुलाने कोई नहीं आया था। घटना के समय उसकी पत्नी, पुत्री तथा छोटा पुत्र घर पर उपस्थित थे। जब उसकी पुत्री लौटकर आई, तब उसके साथ कोई नहीं आया था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



15. पी.डब्ल्यू.-2 बउरा का परीक्षण दिनांक 15.01.1988 को किया गया। उसने कथन किया कि बुधुवा के घर पर डकैती कारित की गई थी। बदमाश उसकी पुत्री को उठा ले गए थे। बदमाश 5-6 थे तथा उसने उनकी शिनाख्त नहीं की, किन्तु उसने उन्हें देखा था। उसे दिनांक 07.02.1989 को पुनः परीक्षण हेतु पुनः बुलाया गया। उसने कथन किया कि बुधुवा के घर में डकैती कारित की गई थी। शोर सुनकर वह वहाँ पहुँचा। जब वह वहाँ पहुँचा, तब बदमाश उसकी पुत्री को ले जा चुके थे। उसने बदमाशों को उसकी पुत्री को ले जाते हुए नहीं देखा, किन्तु बुधुवा की पत्नी ने उसे बताया कि बदमाश उसकी पुत्री को ले गए हैं। उसने यह भी देखा था कि उस समय लड़की घर में नहीं थी। यह गलत है कि उसने बदमाशों को नहीं देखा तथा न ही उसने उनकी शिनाख्त किया।

उक्त साक्षी की कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई।

16. पी.डब्ल्यू. -3 श्रीमती महारानिया पीड़िता 'एक्स' की माता तथा पी.डब्ल्यू. -1 बुधुवा की पत्नी है। उसने कथन किया कि रात्रि में वह अपनी पुत्री सहित घर में सो रही थी। चार बदमाश भीतर घुस आए, किन्तु वह उनकी शिनाख्त नहीं कर सकी। उन्होंने उसके साथ मारपीट की तथा वस्तुएँ लूट लीं। उन्होंने बलपूर्वक उसकी पुत्री को उठा लिया। 5-6 दिन पश्चात् उसकी पुत्री लौट आई। उसकी पुत्री घर आने से पूर्व थाने गई थी, जो उसके द्वारा उसके लौटने पर बताया गया। बदमाशों तथा पुलिस के मध्य गोलीबारी हुई थी, जिसमें वह रास्ता पाकर भाग निकली थी। उसके शोर मचाने पर बहुत से लोग आए थे। उसका पति रात्रि में नदी के किनारे बाग की रखवाली कर रहा था तथा शोर सुनकर वह वापस आ गया।

अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने कथन किया कि विवेचनाधिकारी द्वारा उससे पूछताछ की गई थी तथा जो कुछ उसने बताया था, वह पुलिस द्वारा अंकित किया गया था। उसे दिनांक 07.02.1989 को पुनः परीक्षण हेतु पुनः बुलाया गया, जिस पर उसने कथन किया कि रात्रि में उसके घर में डकैती कारित की गई थी। वह तथा उसकी पुत्री घर में थीं। उसका पति नदी के किनारे अमरुद के पेड़ों की रखवाली हेतु बाग गया था तथा वहीं उपस्थित था। तीन बदमाश घर में घुसे तथा उसके साथ मारपीट की एवं लूट कारित की। उन्होंने उसके तथा उसकी पुत्री के साथ मारपीट की। उन्होंने वस्तुएँ लूट लीं तथा उसकी पुत्री के साथ मारपीट कर उसे अपने साथ ले गए। लगभग 8-10 दिन पश्चात् उसकी पुत्री वापस आई। वह लगभग 15-16 दिन पश्चात् वापस आई। उन दिनों तक वह बन्धक रही थी। उसे विभिन्न स्थानों पर ले जाया गया था। जब वह वापस

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आई, तब उसने उसे वृत्तान्त बताया। उसने कथन किया कि वह बदमाशों को पहचान नहीं सकी। उन्होंने अपने चेहरे कपड़ों से ढँक रखे थे। बदमाश जब घर के भीतर थे, तब वे बोल नहीं रहे थे, बल्कि केवल संकेत कर रहे थे। विवेचनाधिकारी द्वारा उससे पूछताछ की गई थी तथा उसने उसे बताया था कि बदमाशों ने अपने चेहरे ढँक रखे थे। वह न्यायालय में इस सम्बन्ध में नहीं बता सकी। एक बदमाश बन्दूक लिए हुए था, एक लाठी लिए हुए तथा एक फरसा लिए हुए था। उन्होंने घर के भीतर अपने चेहरे नहीं खोले क्योंकि उनके चेहरे ढँके हुए थे तथा रात्रि होने के कारण उनकी शिनाख्त नहीं की जा सकी।

17. पी.डब्ल्यू. -4 पीड़िता 'एक्स' है। उसने कथन किया कि रात्रि में बदमाश उसके घर आए तथा लूट कारित की एवं उसे बलपूर्वक उठा ले गए। बहोरिया लोहार, नत्थू कोरी, दुलुवा ब्राह्मण तथा भगवानदीन केवट उसे ले गए। वे उसे ले गए तथा अन्य बदमाशों को सौंप दिया। उसकी आँखें पट्टी से बाँध दी गई थीं। उसे मरकासड़ा के जंगल में लगभग 5-6 दिन तक रखा गया तथा समस्त अभियुक्तगण उसके साथ बलात्संग करते रहे। जो अभियुक्त उसे ले गए थे तथा जिन अभियुक्तों को वह सौंपी गई थी, वे उसके साथ बलात्संग करते थे। वे आपस में उसे बेचने की बात कर रहे थे। वे प्रतिदिन उसके साथ बलात्संग करते थे। जंगल में फायरिंग हुई, जिस पर उसे रास्ता मिला तथा वह वहाँ से भाग निकली। वह एक वाहन से बिसण्डा आई, जहाँ वह अपने फूफा से मिली तथा उसे इस सम्बन्ध में बताया, जहाँ से वह पुलिस कर्मियों से मिली, जिन्हें उसने घटना के सम्बन्ध में बताया तथा तत्पश्चात् उसे थाने ले जाया गया। उसे चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा गया। विवेचनाधिकारी ने उससे पूछताछ की।

अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने कथन किया कि जब बदमाश उसे ले गए थे, तब वे अपने चेहरे ढँके हुए थे तथा बाद में जब उन्होंने कपड़ा खोला, तब वह उनकी शिनाख्त कर सकी। उन्होंने जंगल में उसकी आँखें खोली थीं। दीन दयाल केवट दरवाजे के बाहर खड़ा नहीं था। बहोरिया लोहार ने उससे दीन दयाल केवट का नाम लिखवाया था तथा बदमाशों ने उसे गाँव के बाहर सौंपा था। जो बदमाश उसे ले गए थे, उनमें बहोरिया लोहार तथा अन्य व्यक्ति सम्मिलित थे जिन्होंने उसे पकड़ा था तथा तीन अन्य व्यक्ति उसे जंगल ले गए थे। वे तीन अन्य बदमाश तत्पश्चात् उससे नहीं मिले तथा उन्होंने उसके साथ कोई अनुचित कृत्य नहीं किया। बहोरिया लोहार तथा वे अन्य बदमाश जिन्हें वह सौंपी गई थी, उसके साथ बलात्संग करते रहे। उसने विवेचनाधिकारी को बताया

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



था कि बहोरिया लोहार ने उसके साथ बलात्संग किया था, किन्तु यदि वही उसके द्वारा नहीं लिखा गया है तो वह इसका कारण नहीं बता सकती। बदमाशों का दूसरा समूह लगभग 5-6 की संख्या में था। उसने विवेचनाधिकारी को बताया था कि अन्य बदमाश गाँव के बाहर मिले थे, किन्तु यदि वही उसके द्वारा नहीं लिखा गया है तो वह इसका कारण नहीं बता सकती। वे गाँव के बाहर लगभग आधा एवं एक फर्लांग दूर मिले थे। दीन दयाल केवट का गाँव में बाड़ा है, जहाँ बदमाश उनसे मिले। अन्य बदमाश वहाँ थे, वह गाँव के बाहर है। उसने विवेचनाधिकारी को बताया था कि उसका मुँह दबा दिया गया था तथा उसे दीन दयाल केवट के बाड़े में ले जाया गया था, जहाँ छह बदमाश उपस्थित थे। वह वहाँ 5-6 दिन रही। उसने पूर्व में ऐसा बयान नहीं दिया था कि वह 4-5 दिन पश्चात् भाग गई तथा उसके साथ ऐसा कोई अनुचित कृत्य नहीं किया गया, बल्कि उसने उसे बताया था कि 4-5 दिन पूर्व तक उन्होंने उसके साथ अनुचित कृत्य किया। वह बदमाशों के पास से भागने के पश्चात् रात्रि में अपने फूफा के घर रुकी, जहाँ दिन में उसके पिता आए। वह थाने नहीं गई। वह अपने पिता के साथ थाने गई, किन्तु किसी से नहीं मिली तथा तत्पश्चात् वह दूसरे थाने गई, जहाँ वह पुलिस कर्मियों से मिली। वह क्षेत्राधिकारी के कार्यालय गई, जहाँ उसका बयान अंकित किया गया। प्रस्तुत घटना घटित होने से पूर्व वह 2-3 बार अपने ससुराल जा चुकी थी। उसने अपने पिता को घटना के सम्बन्ध में बताया था। यह गलत है कि प्रस्तुत घटना से पूर्व वह अपनी स्वेच्छा से दुलुवा ब्राह्मण के साथ भाग गई थी तथा उसके पिता ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने हेतु प्रस्तुत रिपोर्ट दर्ज कराई। यह कथन करना गलत है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ कोई अनुचित कृत्य नहीं किया। यह गलत है कि पुलिस के दबाव में वह गलत बयान दे रही है। उसे पुनः बुलाया गया तथा उसका पुनःपरीक्षण दिनांक 07.02.1989 को किया गया। वह अपनी माता के साथ घर पर थी। बहोरिया लोहार, भगवानदीन केवट, दुलुवा ब्राह्मण एक अन्य व्यक्ति के साथ वहाँ आए। दीन दयाल भी उनके साथ था। उन्होंने आकर चाबियाँ माँगीं तथा तत्पश्चात् उनके साथ मारपीट की गई। उसने उन्हें चाबियाँ दे दीं। 4-5 व्यक्तियों ने उसे पकड़ लिया तथा घसीटकर बाहर ले गए। उसे गाँव से बाहर ले जाने के पश्चात् कुछ और बदमाश उनसे मिले जो वहाँ खड़े थे तथा वह उन्हें सौंप दी गई एवं बहोरिया लोहार, नत्थू कोरी, भगवानदीन केवट वहाँ थे। देवी दयाल उनके साथ नहीं था। वे उसे साँडा जंगल ले गए। रात्रि में वे कहीं नहीं गए तथा नत्थू, भगवानदीन अन्य बदमाशों सहित जंगल में थे। बहोरिया ने उसके साथ बलात्संग किया। 10-12 दिन तक उसे वहाँ रखा गया, भोजन दिया गया तथा अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



बलात्संग किया गया तथा तत्पश्चात् एक रात्रि गोलीबारी हुई एवं रास्ता पाकर वह उस स्थान से भाग निकली। उसका चिकित्सीय परीक्षण चिकित्सालय में कराया गया तथा एक्स-रे भी किया गया।

18. सिपाही घनश्याम शर्मा का परीक्षण पी.डब्ल्यू. -5 के रूप में किया गया, जिसने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने के सम्बन्ध में कथन किया। वह उसे प्रमाणित करता है। उक्त साक्षी की कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई।

19. पी.डब्ल्यू. -6 डॉ. एम.सी. मित्तल रेडियोलॉजिस्ट हैं। वह पीड़िता 'एक्स' की एक्स-रे प्लेट तथा एक्स-रे आख्या प्रमाणित करते हैं। एक्स-रे आख्या प्रदर्श क-3 के रूप में तथा एक्स-रे प्लेट अभिलेख पर भौतिक प्रदर्श 1 के रूप में चिह्नित है। उन्होंने कथन किया कि उक्त एक्स-रे के अनुसार पीड़िता 'एक्स' की आयु लगभग 18 वर्ष थी।

20. पी.डब्ल्यू. -7 उप निरीक्षक कृष्ण सिंह सेंगर प्रकरण के विवेचनाधिकारी हैं। उन्होंने कथन किया कि प्रथम विवेचनाधिकारी अनिल कुमार थे, जिन्होंने उनसे पूर्व विवेचना ग्रहण की थी। उन्होंने नक्शा नजरी तैयार करने, साक्षियों के बयान अंकित करने तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध फरार के रूप में आरोप पत्र प्रेषित करने के सम्बन्ध में कथन किया। वही प्रदर्श क-6 के रूप में साबित किए गए।

अपनी प्रतिपरीक्षा में उन्होंने कथन किया कि उन्होंने केस डायरी में यह नहीं लिखा कि पीड़िता 'एक्स' का बयान धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अंकित किया गया अथवा नहीं। उन्होंने कथन किया कि उन्हें स्मरण नहीं है कि पीड़िता 'एक्स' का बयान दिनांक 25.01.1983 को अंकित किया गया अथवा नहीं। उन्होंने स्वयं किसी साक्षी का बयान नहीं लिखा। उन्होंने अभियुक्तगण की तलाश की, किन्तु उनका पता नहीं चला तथा तत्पश्चात् उनके विरुद्ध फरार के रूप में आरोप पत्र प्रेषित किया। उन्होंने कथन किया कि यह गलत है कि झूठा आरोप पत्र प्रेषित किया गया। उन्होंने केस डायरी में विवेचनाधिकारी द्वारा पूर्व में अंकित बयानों की संपुष्टि हेतु पुनः बयान अंकित नहीं किए।

21. अभियुक्तगण ने धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अपने बयानों में अभियोजन कथानक से इन्कार किया है तथा यह कथन किया है कि उन्हें रंजिशवश प्रस्तुत प्रकरण में झूठा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



फँसाया गया है। उन्होंने कथन किया है कि उन्हें पार्टीबन्दी के कारण फँसाया गया है। वर्तमान जीवित अभियुक्त-अपीलार्थी नत्थू ने कथन किया है कि डकैती कारित किए जाने से लगभग 2-3 माह पूर्व उसके तथा बुधुवा के मध्य झगड़ा हुआ था, किन्तु उसकी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी।

22. अभियुक्त दीन दयाल ने विचारण न्यायालय से मामले में बचाव साक्षी के रूप में उपस्थित होने की अनुमति चाही। उसके प्रार्थना पत्र पर आदेश दिनांक 29.03.1989 के द्वारा उसे उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की गई। उसने कथन किया कि उसने दिनांक 25.08.1982 को साधु, बुधुवा एवं अन्य के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त प्रार्थना पत्र उसके द्वारा डाक रसीद सहित प्रस्तुत किया गया। उसने आगे कथन किया कि उसने बुधुवा के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो प्रदर्श ख-2 के रूप में चिह्नित की गई तथा इस प्रकार उसके एवं प्रथम सूचनाकर्ता के मध्य रंजिश थी। उसने कथन किया कि बुधुवा के घर में डकैती कारित की गई थी, किन्तु वह संलिप्तता से इन्कार करता है। पूर्ववर्ती प्रार्थना पत्र तथा डाक रसीद उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए, वही प्रदर्श ख-1 के रूप में चिह्नित है।

23. विचारण न्यायालय ने अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त सन्देह से परे पाते हुए अभियुक्त-अपीलार्थीगण को उपर्युक्त रूप से दोषसिद्ध कर दण्डित किया।

24. अपीलार्थी संख्या 2/नत्थू के विद्वान अधिवक्ता श्री केशरी नाथ त्रिपाठी तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बड़े लाल बिन्द को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।

25. विचारण न्यायालय का अभिलेख भी प्राप्त हो चुका है, जिसका परिशीलन किया गया है तथा प्रकरण की पेपर बुक पहले से ही तैयार की जा चुकी है, जिसका भी परिशीलन किया गया है।

26. जीवित अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क निम्नानुसार हैं:-

(i) अपीलार्थी को वर्तमान वाद में झूठा फँसाया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(ii) अभियोजन कथानक के अनुसार जो अभियुक्तगण प्रथम सूचनाकर्ता के घर आए थे, उन्होंने अपने चेहरे कपड़े से ढँक रखे थे तथा इस प्रकार उनकी शिनाख्त नहीं की जा सकती थी।

(iii) अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान को पुष्ट करने हेतु कोई शिनाख्त परेड सम्पन्न नहीं कराई गई।

(iv) प्रथम सूचना रिपोर्ट 3-4 अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध दर्ज कराई गई तथा इस प्रकार जीवित अपीलार्थी सहित कोई भी अभियुक्त उसमें नामित नहीं था।

(v) जीवित अपीलार्थी पी.डब्ल्यू. -1 बुधुवा, पी.डब्ल्यू. -2 बउरा तथा पी.डब्ल्यू. -3 महरानिया द्वारा नामित तक नहीं है। उक्त तीन साक्षियों में से पी.डब्ल्यू. -2 बउरा घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है।

(vi) अपीलार्थी के कब्जे से अथवा उसके बताए अनुसार किसी दोषारोपक सामग्री की कोई बरामदगी नहीं है।

(vii) यद्यपि मामले में अपीलार्थीगण के विरुद्ध फरार के रूप में आरोप पत्र प्रेषित किया गया, किन्तु वही किसी विश्वसनीय साक्ष्य के बिना था।

(viii) जीवित अपीलार्थी नत्थू की प्रथम सूचनाकर्ता से रंजिश है, क्योंकि उसने धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अपने बयान में कथन किया है कि लगभग 2-3 माह पूर्व उसके तथा प्रथम सूचनाकर्ता बुधुवा के मध्य झगड़ा हुआ था, किन्तु उसके द्वारा उसकी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी।

(ix) यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रकरण में उक्त असंगतियों को देखते हुए तथा इस तथ्य के साथ कि पीड़िता 'एक्स' ने अपीलार्थी पर बलात्संग का अभिकथन नहीं किया है, बल्कि बहोरिया लोहार तथा अभियुक्तों के दूसरे समूह द्वारा बलात्संग किए जाने का कथन किया है, यह एक उपयुक्त प्रकरण है जिसमें अपीलार्थी को सन्देह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किया जाना उचित है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



27. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्कों एवं अपील का विरोध किया तथा निम्नानुसार तर्क प्रस्तुत किये:-

- (i) अभियोजन ने अपना प्रकरण युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित किया है तथा इस प्रकार विचारण न्यायालय ने साक्ष्य को विश्वसनीय एवं निर्णायक पाते हुए अभियुक्त-अपीलार्थीगण को उपर्युक्त रूप से दोषसिद्ध कर दण्डित किया।
- (ii) यद्यपि अभियुक्तगण के सम्बन्ध में यह कथन किया गया है कि उन्होंने अपने चेहरे कपड़े से ढँक रखे थे, किन्तु डकैती कारित करने तथा पीड़िता 'एक्स' को ले जाने के पश्चात् उन्होंने अपने चेहरे खोल दिए थे तथा इस प्रकार पीड़िता 'एक्स' द्वारा उनकी शिनाख्त कर ली गई।
- (iii) पीड़िता 'एक्स' लगभग 4-5 दिन तक अभियुक्त-अपीलार्थीगण की अभिरक्षा में रही तथा इस प्रकार वह उन्हें पहचानती है एवं उसे उनकी पहचान ज्ञात हो गई तथा उसने विशेष रूप से उनके नाम भी प्रकट करते हुए वह प्रकट की।
- (iv) जीवित अपीलार्थी पीड़िता 'एक्स' के बयान में नामित है तथा इस प्रकार घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति एवं घटना में उसकी सहभागिता विवादित नहीं की जा सकती।

28. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने तथा अभिलेख के परिशीलन के पश्चात् यह प्रकट है कि प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट बुधुवा द्वारा 3-4 अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध इस सम्बन्ध में दर्ज कराई गई थी कि उन्होंने डकैती हेतु उसके घर पर धावा बोला, जिसमें वे घर में रखे आभूषण ले गए तथा जाते समय सूचनाकर्ता की लगभग 18-19 वर्ष की आयु की पुत्री को भी अपने साथ ले गए। उनके सम्बन्ध में यह कथन किया गया कि वे आग्नेयास्त्रों तथा लाठी एवं फरसा से सुसज्जित थे। घटना दिनांक 15/16.12.1982 की अर्धरात्रि में घटित होना अभिकथित है। प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 16.12.1982 को अपराह्न 2:30 बजे दर्ज कराई गई, जो कथित घटना के लगभग 14.30 घण्टे पश्चात् थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते समय प्रथम सूचनाकर्ता से रिपोर्ट करने हेतु थाने आने में विलम्ब के सम्बन्ध में पूछा गया, जिस पर उसने कथन किया कि वह अपनी पुत्री की तलाश कर रहा था तथा जब उसका पता नहीं चल सका, तब वह रिपोर्ट दर्ज कराने आया है। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुआ विलम्ब पर्याप्त

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



एवं समुचित रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। पीड़िता 'एक्स' अपने बयान के अनुसार उन अभियुक्तगण के साथ थी जिन्होंने डकैती हेतु घर पर धावा बोला था तथा तत्पश्चात् गाँव के बाहर बदमाशों के दूसरे समूह को सौंप दी गई, जो तत्पश्चात् उसे जंगल ले गए जहाँ सह-अभियुक्त बहोरिया लोहार तथा अभियुक्तों के दूसरे समूह द्वारा उसके साथ बलात्संग किया गया। जहाँ तक वर्तमान जीवित अपीलार्थी का प्रश्न है, पीड़िता द्वारा उसके विरुद्ध बलात्संग का कोई अभिकथन नहीं किया गया है। पीड़िता 'एक्स' तत्पश्चात् किसी समय, जब बदमाशों तथा पुलिस के मध्य गोलीबारी हो रही थी, रास्ता पाकर उक्त स्थान से बाहर निकल आई तथा अपने रिश्तेदार के घर पहुँची, ऐसा कथन किया गया है। जीवित अपीलार्थी दोनों कथित चक्षुदर्शी साक्षियों, अर्थात् पी.डब्ल्यू. -2 बउरा तथा पी.डब्ल्यू. -3 महरानिया के बयान में भी नामित नहीं है। उसका नाम प्रस्तुत प्रकरण में पहली बार पीड़िता 'एक्स' द्वारा प्रकट किया गया है। अभियुक्तगण में से एक दीन दयाल, जो विचारण न्यायालय की अनुमति से स्वयं बचाव साक्षी के रूप में उपस्थित हुआ, को धारा 394, 365, 366, 376 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध हेतु उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है। वही चुनौती नहीं दी गई है तथा अन्तिमता प्राप्त कर चुका है। जहाँ तक पीड़िता 'एक्स' के अपहरण का प्रश्न है, अभिलेख पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह दर्शित हो कि घर में उपस्थित परिवारजनों द्वारा उसका विरोध किया गया था। चार अभियुक्तगण के नाम पीड़िता 'एक्स' द्वारा प्रकट किए गए, जो यह कथन करती है कि उसने उनकी शिनाख्त तब की जब उन्होंने अपने चेहरे खोले। अभियुक्तगण में से एक, अर्थात् दुलुवा ब्राह्मण, जो उसके द्वारा नामित भी किया गया था, के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। पीड़िता 'एक्स' के लौटने की तिथि/दिन संगत नहीं है, क्योंकि वह घटना के 5-6 दिन पश्चात् लौटने का कथन करती है, जबकि पी.डब्ल्यू. -1 बुधुवा तथा पी.डब्ल्यू. -3 महरानिया उसके घटना के लगभग 15 दिन पश्चात् लौटने का कथन करते हैं। इस प्रकार इसमें स्पष्ट एवं व्यापक अन्तर है तथा यह स्वतः असंगत है। उक्त तथ्यों तथा मामले में विद्यमान असंगतियों को देखते हुए, जीवित अभियुक्त-अपीलार्थी को सन्देह का लाभ प्रदान किया जाना समुचित होगा। अतः उसे प्रस्तुत मामले में सन्देह का लाभ प्रदान किया जाता है।

29. उपर्युक्त को देखते हुए तथा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपील **स्वीकार** की जाती है। जीवित अपीलार्थी संख्या 2 नत्थू को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



किया जाता है। अभियुक्त-अपीलार्थी जमानत पर है। जमानत बन्धपत्र निरस्त किया जाता है तथा प्रतिभूगण उन्मोचित किए जाते हैं। उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि वह किसी अन्य प्रकरण में वांछित न हो।

30. उसके विरुद्ध जारी गैर-जमानती अधिपत्रों को आदेश दिनांक 10.08.2026 के द्वारा स्थगित रखे जाने का निर्देश दिया गया था। वही एतद्वारा वापस लिए जाते हैं।

31. कार्यालय इस निर्णय की सूचना अनुपालन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विचारण न्यायालय को प्रेषित करे। विचारण न्यायालय का अभिलेख भी उक्त आदेश सहित वापस भेजा जाए।

32. लम्बित प्रार्थना पत्र, यदि कोई हों, निस्तारित किए जाते हैं।

(न्यायमूर्ति समित गोपाल)

13 अगस्त, 2026

एम. आरिफ़/अभिषेक राथोर

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”